न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –06 / 2017 जिला अलवर

1. कन्हैया पुत्र छाज्या, जाति मीणा, निवासी ग्रम श्रीचन्दपुरा, तहसील राजगढ, जिला अलवर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. रंगलाल पुत्र मूल्या, जाति मीणा, निवासी ग्रम श्रीचन्दपुरा
2. रामखिलाडी पुत्र गोविन्दसहाय जाति मीणा, निवासी ग्रम श्रीचन्दपुरा, तहसील राजगढ, जिला अलवर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी राजगढ, जिला अलवर दिनांक 6.6.2005

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री ब्रजबिहारी चौधरी
2. वकील रेस्पोंडेन्ट सर्वेश चन्द शर्मा

निर्णय

दिनांक– 4.1.2018

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी राजगढ, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 6.6.2005 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि रेस्पोंडेन्ट रंगलाल मीणा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी राजगढ, जिला अलवर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया था कि ग्रम श्रीचन्दपुरा, तहसील राजगढ, जिला अलवर स्थित भूमि हाल आराजी खसरा नम्बर 290 रकबा 0.61 ऐयर का रिकार्डेड खातेदार है जिसके गत खसरा नम्बर 129 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा था जिसका रकबा 0.74 ऐयर बनता है । संवत 2046 के बन्दोबस्त में बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने गत खसरा नम्बर 129 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा के नये नम्बरान 289 रकबा 1 एयर, 290 रकबा 61 ऐयर व 290/380 रकबा 5 ऐयर कायम कर दिये गये जिनमें खसरा नम्बर 290 रकबा 61 ऐयर को उनकी खातेदारी में दर्ज कर दिया गया और खसरा नम्बर 289 रकबा 1 एयर को गढा व खसरा नम्बर 290/380 रकबा 5 एयर को गैर मुमकीन रास्ता कायम कर दिया गया । इन तीनों हाल खसरा नम्बरान का रकबा 67 एयर किया गया है जबकि उसकी गत आराजी खसरा नम्बर 129 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा के मुताबिक हाल खसरा नम्बरान का रकबा 74 ऐयर दर्ज करना चाहिये था , जो दर्ज नहीं किया गया तथा इसी खसरा नम्बर 290 के पास खसरा नम्बर 288 रकबा 7 एयर गैरमुमकीन रास्ता है और खसरा नम्बर 288 के गत खसरा नम्बर 128 था जिसका रकबा 2 बिस्वा था जिसे वर्तमान सैटलमेन्ट ने 7 एयर बना दिया जो गलत व खिलाफ कानून व खिलाफ रेकार्ड है । सैटलमेन्ट को कोई अधिकार नहीं है की उनकी आराजी का रकबा जो 74 एयर बनता है उसे कम करके 0.61 एयर दर्ज कर शेष रकबा रास्ते में मिला दिया, जो गलत है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा

नम्बर 290 का रकबा 61 एयर के स्थान पर 74 एयर दर्ज किया जावे ओर हाल खसरा नम्बर 289 रकबा एक एयर , खसरा नम्बर 290/380 रकबा 5 एयर को हाल नक्शे से हटाया जाकर साबिक ट्रेस के मुताबिक दुरूस्त किया जावे । खसरा नम्बर 288 प्रार्थीगण की आराजी का 5 एयर रकबा जोडा है उसे कम करके उसकी आराजी में जोडा जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.6.2005 पारित कर प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 290 वाके ग्रम श्रीचन्दपुरा का रकबा 61 एयर के स्थान पर 66 एयर दर्ज करने एवं हाल खसरा नम्बर 288 का रकबा 5 एयर कम किया जाकर इस रकबे को खसरा नम्बर 290 में मिलाने के आदेश दिये गये ।

उप खण्ड अधिकारी राजगढ के उक्त निर्णय दिनांक 6..6.2005 के खिलाफ अपीलान्ट कन्हैया ने यह अपील दिनांक 22.3.2007 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी राजगढ दिनांक 6.6.2005 एवं इसकी पालना में दर्ज किया गया इन्तकाल संख्या 110 निरस्त किये जाकर राजस्व रिकार्ड की पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का निर्णय पारित करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की जिसका जवाब रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 रामखिलाडी द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी 27.2.2007 को रेस्पोंडेन्ट द्वारा यह कहने पर हुई की वह अपीलार्थी के खेत में जाने वाले रास्ते को बन्द करेगें । इस पर अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है । उनका कहना था कि मिन अपीलार्थी की आराजी खसरा नम्बर 292/361 एवं 292 तथा 293 खसरा नम्बर 288 रकबा 7 ऐयर गैरमुमकीन रास्ते के नजदीक है तथा अपीलार्थी इसी रास्ते का उपयोग करता है तथा उसके खेतों पर जाने के लिये अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है । ऐसी स्थिति में उक्त रास्ता बन्द होने से अपीलार्थी को नापूर्ति होने वाली हानि होगी तथा वह अपनी आराजी पर नहीं आ जा सकेगा । उनका कहना था कि धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय की अनुपालना में नामांतरकरण दर्ज किया है जिसके खिलाफ अपील सुनने का अधिकार इस न्यायालय को है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया तथा न ही राज्य सरकार को विपक्षी मुकदमा बनाया तथा उप खण्ड अधिकारी ने भी इस पर गोर किये बिना व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना रास्ते का 5 ऐयर रकबा रेस्पोंडेन्ट की खातेदारी में मिलाने का आदेश पारित कर दिया, जो खिलाफ कानून व खिलाफ मौका व रिकार्ड होने से निरस्तनीय है । आराजी खसरा नम्बर 288 रकबा 7 एयर गैरमुमकीन रास्ता दर्ज किया हुआ है तथा यह आराजी सदैव से ही रास्ता रही है तथा रास्ते की भूमि को किसी अन्य की भूमि में मिलाने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता । उनका कहना था कि धारा 136 एल..आर.एक्ट में केवल लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरूस्त किया जा सकता है वह पक्षकारों की सहमति से ।विवादित भूमि एवं रास्ते के संबंध में यदि रेस्पोंडेन्ट को कोई आपत्ति थी तो उन्हें नियमित वाद दायर करके विवाद का निस्तारण कराना चाहिये था । रेस्पोंडेन्ट ने ग्रम के कुछ व्यक्तियों की सहमति बाबत

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कराया था वह सभी रेस्पोंडेन्ट के मिलने वाले व्यक्ति थे तथा न ही वह आस पास के खेतों के हैं । रास्ता मौके पर कदीमी कायम है तथा सदैव से रास्ता ही रहा है । अपीलार्थी खेतों में जाने के लिये ट्रेक्टर, गाडी, बैलगाडी लेकर इसी रास्ते से आता जाता है । पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट पेश की थी वह भी गलत व मौके के विपरीत रेस्पोंडेन्ट से मिल कर प्रस्तुत की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये रास्ते की भूमि को रेस्पोंडेन्ट के खाते में मिलाने का अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा इसकी अनुपालना में दर्ज नामांतरकरण संख्या 110 निरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड की पूर्व की स्थिति बहाल रखी जावे । अपने कथन के समर्थन में धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की फोटो प्रति प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में एवं अपीलान्ट की लिखित बहस के जवाब में उल्लेखित किया है कि रेस्पोंडेन्ट के खेत में होकर कोई रास्ता नहीं है बल्कि रास्ता खसरा नम्बर 283 , 284 में होकर हमेशा से रहा है जो फूल चन्द मीना के कब्जे में है । रेस्पोंडेन्ट की आराजी का रकबा रास्ते की भूमि में गलत तौर से मिला कर रास्ते का रकबा अधिक दर्ज कर दिया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दुरूस्त कर 5 एयर भूमि रेस्पोंडेन्ट्स के रकबे में मिला कर रकबा पूरा किया है जिससे अपीलान्ट का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं है । रेस्पोंडेन्ट का रकबा रिकार्ड के मुताबिक पुराना खसरा नम्बर 129 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा के हिसाब से हाल रकबा 0.74 ऐयर दर्ज होना चाहिये था, लेकिन गलत तोर से 62 एयर ही दर्ज किया गया । रेस्पोंडेन्ट की भूमि का रकबा गलत तौर से रास्ते की भूमि में शामिल किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से रास्ते की भूमि का रकबा 5 एयर कम करके रेस्पोंडेन्ट के रकबे में शामिल किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । पुराने रिकार्ड के हिसाब से रास्ता 2 बिस्वा का था जिसे बन्दोबस्त ने गलत तौर से 7 ऐयर का बना दिया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दुरूस्त करने में कोई त्रुटी नहीं की है । उनका कहना था कि अपीलान्ट ने बहस में इस बात को स्वीकार किया है कि रास्ते की भूमि को बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत तौर से 7 ऐयर दर्ज की है जिसे दुरूस्त किया जावे ओर रामखिलाडी व रंगलाल की खातेदारी में मिलाया जावे । उनका कहना था कि मौके पर किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है रास्ता हमेशा से बन्द है जो फूलचन्द मीणा के खेत में से होकर था फूलचन्द ने उसे बन्द कर रखा है । तहसीलदार ने जो रिकार्ड तैयार किया है वह सही है एवं मौके पर जो स्थिति थी उसी के मुताबिक नया पुराना रिकार्ड व नक्शा देख कर सही रिपोर्ट तैयार की है । उनका कहना था कि धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत राजस्व रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरूस्त करने का अधिकार उप खण्ड अधिकारी को है । उनका कहना था कि अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर है तथा विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं होने से अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे । अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी 2017 (1) पेज 264, आर. आर.टी. 2017 (1) पेज 711, आर.आर.डी. 2012 पेज 742, आर.आर.डी. 1997 पेज 504, आर..आर.डी. 2006 पेज 414, आर.आर.डी. 2006 पेज 275 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में जमाबन्दी संवत 2033– 2036 के अनुसार खसरा नम्बर 129 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा के रेस्पोंडेन्ट

संख्या 1 व 2 के पिता गोविन्दा व मूल्या पि. रामदेवा हिस्सा बराबर के खातेदार थे । गत खसरा नम्बर 129 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 289 रकबा 1 एयर एवं 290 रकबा 61 एयर बने । भू प्रबन्ध से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 129 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली से रकबा 74 एयर बनना चाहिये था जबकि भू प्रबन्ध ने 62 एयर रकबा ही अंकित किया है जो कम है । तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में गत खसरा नम्बर 129 का 5 बिस्वा रकबा हाल खसरा नम्बर 288 में मिलाया जाना एवं मिलान क्षेत्रफल संवत 2046 में खसरा नम्बर 288 रकबा 7 बिस्वा का गत खसरा नम्बर 128 रकबा 2 बिस्वा से बनाना बताया है तथा हाल खसरा नम्बर 288 में जो 5 एयर रकबा अधिक दर्ज किया गया है वह गत खसरा नम्बर 129 के रकबे से मिलाया जाना अंकित किया है । रेस्पोंडेन्ट का रकबा कम होने से रबका पूर्ति हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.6.2005 द्वारा रेस्पोंडेन्ट का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 290 वाके ग्रम श्रीचन्दपुरा का रकबा 61 एयर के स्थान पर 66 एयर दर्ज करने के आदेश दिये गये । हाल खसरा नम्बर 288 का रकबा 5 एयर कम किया जाकर इस रकबे को खसरा नम्बर 290 में मिलाने के आदेश दिये गये है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी (भू अभिलेख अधिकारी) को अधिकार है कि भू अभिलेख में हुई त्रुटि की दुरूस्त कर सकता है । इस प्रकरण में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा रेस्पोंडेन्ट के रकबे को कम करने में त्रुटि की है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से दुरूस्त किया है , जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं । चूंकि यह अपील मियाद बाहर भी है एवं विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं है तथा अपीलान्ट का विवादित भूमि से कोई संबंध व वास्ता नहीं होने से उसे अपील प्रस्तुत करने का भी अधिकार नहीं होने से अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर